

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 70/2019(GCMS : 2019/00120)

गृह फाईनेन्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 'गृह' नेताजी मार्ग, मीठाखली छः रास्ता के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद व स्थानीय शाखा कार्यालय 44 के ब्लॉक, नजदीक टण्डन लेबोरेट्री, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री शोभा सिंह, निवासी वार्ड नं. 10, बिश्नोई मंदिर के पास, पदमपुर रोड़, श्रीगंगानगर
2. श्रीमती दीपशिखा चौहान पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान निवासी वार्ड नं. 10, बिश्नोई मंदिर के पास, पदमपुर रोड़, श्रीगंगानगर



14.08.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 17.06.2019 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण सुरेन्द्र सिंह चौहान, दीपशिखा एवं मदन मोहन अग्रवाल को ऋण सुविधा के रूप में 7.00/- लाख रुपये (अखरे रुपये सात लाख मात्र) का ऋण दिनांक 28.03.2016 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सुरेन्द्र सिंह द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय मकान किला नं. 2, मुरब्बा नं. 51, पट्टा नं. 1116ए (क्षेत्रफल 750 वर्गफीट) चक 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण सुरेन्द्र सिंह चौहान, दीपशिखा चौहान एवं मदन मोहन अग्रवाल को 7.00/- लाख रुपये (अखरे रुपये सात लाख मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सुरेन्द्र सिंह की अचल सम्पत्ति आवासीय मकान किला नं. 2, मुरब्बा नं. 51, पट्टा नं. 1116ए (क्षेत्रफल 750 वर्गफीट) चक 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर, प्रार्थी बैंक के पास रह रहा है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 17.12.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति


जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

(एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 13.02.2019 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 13.02.2019 को भिजवाये गये हैं, अप्रार्थीगण को धारा 13(2) का नोटिस भेजने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं धारा 13(2) के नोटिस प्राप्त होने के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है जिसके अनुसार, समस्त अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की विधिवत् तामील हो गई है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी सुरेन्द्र सिंह की अचल सम्पत्ति आवासीय मकान किला नं. 2, मुरब्बा नं. 51, पट्टा नं. 1116ए (क्षेत्रफल 750 वर्गफीट) चक 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबंध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 13.02.2019 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 13.02.2019 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 13.02.2019 को भिजवाना अंकित है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) का नोटिस भिजवाने की पोस्ट ऑफिस की रसीद एवं ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना


जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

उचित है, इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैंक/कम्पनी की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी सुरेन्द्र सिंह के द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी गृह फाईनेन्स लि. का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी सुरेन्द्र सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति आवासीय मकान किला नं. 2, मुरब्बा नं. 51, पट्टा नं. 1116ए (क्षेत्रफल 750 वर्गफीट) चक 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक/कम्पनी व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अंशदीप)

जिला मजिस्ट्रेट

श्री गंगानगर